Interpretation of St[illegible]

कानूनो का निर्वचन

LL. B VI Semester

Topic

"Ut res magis valeat quam pereat"

अर्थान्वयन अमान्य से मान्य करना अच्छा है)

and

Statute must be read as whole.

संविधि को पूर्णतया पढ़ा जाना चाहिये

Dr. Nishat Khan N.A.S. (P.G.) College Meerut

27/05/2020

धारा के अधिनियमन भाग से मालूम करना चाहिए।

प्रश्न 10 (ब). ''अर्थान्वयन अमान्य से मान्य करना अच्छा है'' सिद्वान्त की व्याख्या कीजिए।

Discuss the maxim "Ut res magis valeat quam pereat" (OR)

लार्ड शा ने कहा है कि ''जब दो वैकल्पिक अर्थ समान रूप में खुले हुए हैं तो उस विकल्प को चुना जाता है जो उस पद्धति की सुगम कार्यवाही से संगत होती है जिसका विनियमन करने का अधिनियम का आशय होता है और वह विकल्प अस्वीकृत किया जाता है जो पद्धति की कार्यवाही में अनिश्चितता, भेदभाव या भ्रांति उत्पन्न करेगी।'' अट रेस मैजिस वैलीट क्वास पैरीट' के निर्देश सहित इस प्रस्ताव की विवेचना कीजिए।

"When alternative construction are equally open" said Lord Shaw, that alternative is to be chosen which will be consistent with the smooth working of the system which the statute purports to be regulating and that alternative is to be rejected which will introduce uncertainty. friction, or confusion into the working of the system". Disuss the proposition with reference to construction 'ut res magis valeat quam pereat'.

उत्तर – अर्थान्वयन अमान्य से मान्य करना अच्छा है

(ut res magis valeat quam pereat)

अर्थ करने का मूल सिद्धान्त यह है कि उस सिद्धान्त को अभिव्यक्त किया जाये जिसको प्राप्त करने का अधिनियम का उद्देश्य होता है। अधिनियम के किसी उपबन्ध की व्याख्या करने में न्यायालय को यह देखना होता है कि संकीर्ण अर्थ करके अधिनियम का उद्देश्य पराजित न हो। न्यायालय को सबसे पहले शब्दों का साधारण अर्थ देखना चाहिए और यदि संविधि में शब्द या वाक्यांश का साधारण अर्थ देने के द्वारा अधिनियम का उद्देश्य कायम रहता है तो यह बिल्कुल ठीक रहता है अन्यथा न्यायालय का यह कर्तव्य

होगा कि वह संकीर्ण व्याख्या करना त्याग दे और इस दृष्टि पर आधारित अधिक सशक्त अर्थ करे जो आशयित उद्देश्य को प्रभावकारी परिणाम लाता है।

एल. सी. विसकाउण्ट साइमन अनुसार, यदि दो व्याख्याओं के बीच चुनाव करना हो तो संकीर्ण अर्थ विधान के प्रत्यक्ष उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल होगा। ऐसे अर्थ को हमें बचाना चाहिए जो विधान को इतना संकुचित कर दे कि वह व्यर्थ हो जाये और इससे अधिक सशक्त को चुनना चाहिए जो इस विचार पर आधारित हो कि पार्लियामेन्ट (संसद) केवल प्रभावकारी परिणाम लाने के उद्देश्य से विधान का निर्माण करेगी।'' इसलिए यह स्पष्ट है कि ut reas may is valeat quam Pareat का मुख्य उद्देश्य यह ढूढ़ना है कि अधिनियम के उद्देश्यों के साथ में दो वैकल्पिक अर्थों में कौन–सा अर्थ उचित बैठता है।

निर्णीत वाद (Decided Cases)

1. कलकत्ता निगम बनाम लिबर्टी सिनेमा (AIR 1965 S.C 1107) में वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्यर्थी प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अपीलार्थी को 400 रूपये का भुगतान कर रहा था। मूल्यांकन के आधार पर बदल दिए जाने के कारण प्रत्यर्थी को अब 6000 रुपये वार्षिक के रूप में अपीलार्थी को भुगतान करना पड़ने लगा जिसे उसने एक रिट याचिका के रूप में चुनौती दी। इसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया तथा अपीलार्थी के संकल्प को अभिखण्डित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून को अर्थान्वयन के ''अमान्य से मान्य करना अच्छा है'' के सिद्धान्त के आधार पर निर्वचित करने से यह स्पष्ट है कि कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम की धारा 548 में अभिव्यक्ति ''फीस'' का अर्थ ''कर'' होना चाहिये क्योंकि फीस का सामान्य अर्थ ''किसी के द्वारा अपनी सेवाएँ देने के बदले में धन लेना'' होता है जो प्रस्तुत दृष्टांत में अनुपस्थित है। केवल इस निर्वचन से ही उस पद्धति के सुगमतापूर्वक कार्य करने की रक्षा हो सकती है जिसके लिए कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया।

2. श्रीनाथ बनाम राजेश (AIR 1998 S.C. 1827) में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी प्रक्रिया–सम्बन्धी विधि का निर्वचन करते समय यदि एक से अधिक अर्थ सम्भाव्य हों तो वह अर्थ जो न्याय के साथ बगैर छेड़छाड़ करते हुए प्रक्रिया को सीमित करता हो अपनाया जाना चाहिए क्योंकि प्रक्रिया विधि सदा न्याय के वश्य है और न्याय प्राप्त करवाने में सहायक है।

3. ललित मोहन पाण्डे बनाम पूरण सिंह (ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 23) के वाद में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियम, 1994 की अनुसूची 2 के नियम 26 और 38 का निर्वाचन अन्तर्गस्त था। उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि ऐसी स्थिति में जबकि दो या अधिक प्रत्याशियों को बराबर मत प्राप्त हुये हों और वे मतदान में सबसे नीचे हों तब प्रत्याशियों में से उस प्रत्याशी को जिसे प्रथम वरीयता के सबसे कम मिले

1. 3.

हों को पृथक् करना होगा। जब दोनों प्रत्याशियों के प्रथम वरीयता के मत भी बराबर हों तो केवल उसी स्थिति में पृथक् करने के उद्देश्य से लाटरी निकाली जा सकती है।

प्रश्न 10 (स). 'संविधि को पूर्णरूपेण पढ़ा जाना चाहिए। 'संविधि के निर्वचन के सन्दर्भ में इस कथन को समझाइए।

'Statute must be read as whole'. Explain this statement in refernce to the interpretation of a statute. (OR)

''एक्स विस्रीबस एक्टस'' के सिद्धान्त को समझाइये।

Explain the doctorine of "ex viscerbus actus". (OR)

लार्ड डैवी ने कहा है कि अधिनियम के प्रत्येक पैरा का अर्थ अधिनियम के प्रकरण और अन्य पैराग्राफों के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए ताकि सम्पूर्ण अधिनियम यथासम्भव एक युक्तिसंगत अधिनियम बन जाये।'' इस कथन की विवेचना कीजिए और इसके समर्थन में उदाहरण दीजिए।

Lord Dawey remarked: Every clause of a statute is to be construed with refernce to the context and other clauses of the Act, so as far as possible. to make a consistent cnactment of the whole statute." Discuss and give illustration in support of the statement. (OR)

लार्ड ब्लैकबर्न ने कहा है कि ''यह एक प्रारम्भिक नियम है कि अर्थ सभी भागों को एक साथ मिलाकर करना चाहिए और स्वत: केवल एक भाग का नहीं।'' उदाहरण सहित इस वक्तव्य का स्पष्टीकरण कीजिए।

Lord Blackburn said that "it is an elementary rule that can be struction is to be made of all the parts together and not of one part only by itself." Elucidate the remarks with illustrations.

संविधि को पूर्णतया पढ़ा जाना चाहिए (Statute must be read as whole)

यह सिद्धान्त कि अधिनियम का अध्ययन पूर्ण रूप में किया जाना चाहिए, यह धारा के विभिन्न अंगों के लिए समान रूप से व्यवहार्य है। धारा पूरी पढ़ी जानी चाहिए, भले ही इसका कोई उपवाक्य व्यावृति खण्ड या परन्तुक हो। यह भी एक तात्विक नियम है कि धारा का वह अर्थ किया जाना चाहिए जो उसे सभी भागों को पढ़कर निकलता हो और इस प्रसंग में यह छूट नहीं दी जा सकती कि धारा के किसी भाग को छोड़ दिया जाये। सम्पूर्ण धारा को साथ–साथ पढ़ा जाना चाहिये। उपधारा को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि यह सम्पूर्ण धारा का अविभाज्य अंग है।

किसी संविधि के उद्देश्य एंव आशय को सुनिश्चित करने हेतु उस संविधि को पूर्णरूपेण पढ़ना चाहिए। संविधि को पूर्णरूपेण पढ़ने से ही सामंजस्यकारी निर्वचन, हितबद्ध निर्वचन विरोधाभासी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। अत: स्पष्ट है कि संविधि वास्तविक एंव ठीक उद्देश्यों एंव आशय को सुनिश्चित करने हेतु उसके प्रत्येक भागों एंव उपबन्धों पर विचार करना आवश्यक है।

4.

अर्थ के प्रयोजन के लिए अन्य उपबन्धों के प्रयोग की बहुत दूर नहीं ले जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई शब्द धारा में बार–बार आये तो इससे अधिक प्रकल्पना नहीं की जा सकती कि दोनों ही स्थानों में इसका एक ही अर्थ है। जहाँ संविधि में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट अर्थ रखते हैं तो यह वैध नहीं है कि उसी अधिनियम में दिये गये अन्य उपबन्धों के विचार से कोई बलपूर्वक अर्थ का उद्धरण निकाला जाये, विशेष रूप से, ऐसे स्थलों में जहाँ ऐसे अर्थ का परिणाम यह होता है कि गौण अर्थ की व्याख्या उसे कठिनाइयों की ओर ले जाती है।

भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पलिताना चीनी मिल प्राइवेट लि. (ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2917) में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि संविधि के निवर्चन का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि संविधि को संपूर्ण रूप में, अध्यायशः, धाराशः और शब्दशः पढ़ा जाना चाहिए। निर्वचन की आवश्यकता उस समय होती है जब संविधि में संदिग्धता, अस्पष्टता अथवा असंगति हो, अन्यथा नहीं। संविधि के सभी भागों को प्रभावी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए तथा जब तक पूर्णरूप से आवश्यक न हो उसके किसी भी भाग को निरर्थक अथवा अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए।

अंत में यह कहा जा सकता है कि किसी धारा का अर्थ अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों से अलग–अलग अवधारित नहीं किया जाना चाहिए जैसी कि अधिनियम की योजना सामन्य रूप में समझी गयी है। लार्ड एवरशेड ने इस सम्बन्ध में एक बहुमूल्य परामर्श दिया है– "तुम्हें आदि से प्रारम्भ करना चाहिए और वहाँ तक चले जाना चाहिए जहाँ तक अन्त न आये और तब रुक जाओ: और मेरी राय में विशिष्ट रूप से उचित नियम वहाँ है जहाँ संसद के किसी अधिनियम का अर्थ किया जा रहा है और अधिनियम से संसदीय आशय प्राप्त करने की खोज की जा रही है।"

निर्णीत वाद (Decided Cases)

पोपटलाल बनाम स्टेट ऑफ मद्रास (AIR 1953 S.C. 274) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि "निर्वचन करने का यह सुस्थापित नियम है कि व्यवस्थापिक के आशय का निश्चित ज्ञान अधिनियम के समस्त खण्डों को पढ़कर प्राप्त किया जाये और स्वतः अधिनियम के प्रयोजन के सन्दर्भ में प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य का अर्थ किया जाये। अतः जब सन्दर्भ शब्द का अर्थ बहुत स्पष्ट बताता है तो यह अनुचित है कि शब्द का विशिष्ट अर्थ निकालने के लिए विभिन्न स्थलों की खोज की जाये और वहाँ से उनके अर्थ सहायता के लिए निकाले जायें।"

रीजनल एक्जीक्यूटिव, केरल फिशरमेन वेलफेयर फण्ड बोर्ड बनाम मे. फैन्सी फूड्स (AIR 1995 S.C. 1620) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि शब्दों की व्याख्या के समय उन्हें वहीं अर्थ दिया जाना चाहिए, जिस संदर्भ में वे प्रयुक्त हुए हैं।

स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (AIR 1933 S.C. 1241) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि उन शब्दों पर निर्भर होना चाहिए जो निर्वचन किये जाने वाले वाक्य–खण्ड में विशेष रूप से बैठाये गये हैं।

5.

एस. गोपाल रेड्डी बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य (AIR 1996 S.C. 2184) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 न केवल दहेज प्राप्त करने को बल्कि विवाह के पूर्व दहेज की मांग को भी प्रतिषिद्ध करता हैं। अधिनियम के किसी भाग के अर्थान्वयन के समय उस कानून द्वारा किस उद्देश्य को प्राप्त करने की बात की गयी है यह नहीं भूलना चाहिए। अधिनियम का प्रयोजनकारी निर्वचन आवश्यक है।

इस प्रकार यह अब यह सुस्थापित नियम है कि विधायिका का उद्देश्य सम्पूर्ण अधिनियम को पढ़कर और केवल उसके भाग मात्र को ही पढ़कर नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए। नियम जैसा कि लार्ड कोक ने प्रतिपादित किया है, यह है कि संसद् के किसी अधिनियम के व्याख्याकार का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियम के सभी भागों को मिलाकर अर्थ करे और केवल एक भाग को अलग करके नहीं।